



कृषि महाविद्यालय
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
कुम्हेर, जिला डीग (राजस्थान)-321201
मोबाईल नंबर- 800584212, 8077707123
e-mail Id : dean.coabharatpur@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ.()/भंडार शाखा/ई बिड/श्रीकनकृमवि/2026/6991


दिनांक : 21.05.2026

ई-बिड सूचना

महाविद्यालय में कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु ई-बिड प्रपत्र वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov> से डाउनलोड किया जा सकता है एवं sppp.rajasthan.gov.in and www.sknau.ac.in देखा जा सकता है। ई-बिड प्रपत्र शुल्क राशि 1000.00, धरोहर राशि ₹50000/- (DD/BC in favour Dean, College of Agriculture, Bharatpur) तथा RISL प्रोसेसिंग फीस राशि 1000.00 भरकर दिनांक 01.06.2026 समय सायं: 05:00 बजे तक Upload करवाना एवं उपरोक्त डीडी/बीसी अधिष्ठाता कार्यालय, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग में जमा करवाना होगा एवं दिनांक 02.06.2026 को सुबह 11.30 बजे ई-बिड समिति द्वारा खोली जावेगी।

UBN No.:

& NIB:


(आर.के.मीना)
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. वित्त-नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि वह स्वयं/प्रतिनिधि ई-बिड खोलने के समय उपस्थित होने का श्रम करें।
3. श्रीमान आयुक्त सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिड सूचना का अखवार में न्यूनतम दरों में प्रकाशन हेतु।
4. श्रीमान जनरल मैनेजर, जिला उद्योग सेंटर, केन्द्रीय विद्यालय के पास? रीको रोड भरतपुर-321001
Email: dicbharatpur@rajasthan.gov.in
5. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस ई-बिड को <http://eproc.rajasthan.gov.in>, sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
6. श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
7. श्रीमान् आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
8. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
9. कैशियर, लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर।
10. नोटिस बोर्ड (नगर पालिका/कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान उप केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र


अधिष्ठाता



कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-बिड सूचना महाविद्यालय द्वारा कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-बिड सूचना ठेके की ई-बिड हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से ई-बिड निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-



क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	ई-बिड शुल्क (₹)	ई-बिड बेचने की तिथि व समय	प्री-बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई-बिड प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई-बिड प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति	25.0	0.50	1000.00	21.05.2026 सायं 05.00 बजे से	25.05.2026 अपराह्न 02.00 बजे	01.06.2026 सायं: 05:00 बजे तक	02.06.2026 प्रातः 11.30 बजे

ई-बिड

कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-बिड सूचना

निविदा क्रमांक :	एफ. () / भंडार शाखा / ई-बिड / श्रीकनकमवि / 2026 / 6974 दिनांक : 21.05.2026
प्री-बिड दिनांक, समय व स्थान :	21.05.2026 समय अपराह्न 02.00 बजे अधिष्ठाता कार्यालय कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	01.06.2026 सायं: 05:00 बजे तक
बिड प्रपत्र शुल्क राशि के DD/BC:	1000.00 / - अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर के पक्ष में देय (पेवल भरतपुर)
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	1000.00 (प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में देय) (M.D., RISL JAIPUR)
धरोहर राशि DD/BC (in favour Dean, College of Agriculture, Bharatpur, payable at Bharatpur)	₹ 50000/-

ई-बिड प्रपत्र शुल्क, आर. आई. एस. एल. प्रोसेसिंग फीस तथा धरोहर राशि (DD/BC (in favour Dean, COA, Bharatpur) ₹ 50000/- भरकर उपर्युक्त नाम से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग के कार्यालय में दिनांक 01.06.2026 समय सायं: 05:00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे।


अधिष्ठाता




कृषि महाविद्यालय

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
कुम्हेर, जिला डीग (राजस्थान)-321201
मोबाईल नंबर- 800584212, 8077707123
e-mail Id : dean.coabharatpur@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ.() / सीएस / ईबिड / श्रीकनकृमवि / 2026 / 6991

दिनांक : 21.05.

2026

कार्य की अनुमानित लागत - ` 25.00 लाख

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

ऑनलाईन ई-बिड जमा कराने की

अन्तिम तिथि- 01.06.2026

समय सायं: 05:00 बजे तक

ई-बिड प्रपत्र शुल्क - ` 1000.00

कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-बिड सूचना

1. ई-बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का पूरा नाम,
2. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
4. किसको संबोधित किया गया - अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग
5. ई-बिड सूचना संदर्भ एफ.() / भंडार शाखा / ईबिड / श्रीकनकृमवि / 2026 / 6991 दिनांक 21.05. 2026
6. ई-बिड प्रपत्र शुल्क राशि ` 1000.00 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर के पक्ष में देय, आर.आई. एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि ` 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक M.D., RISL, Jaipur, तथा धरोहर राशि (DD/BC (in favour Dean, College of Agriculture, Bharatpur) ₹50000/- के पक्ष में देय, अधिष्ठाता कार्यालय, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग में भौतिक रूप से जमा करा दी है एवं वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov> पर अपलोड कर दिया है।
7. हम अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग द्वारा जारी की गई ई-बिड सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. ई-बिड प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करें व आनुषंगिक प्रभारों सहित अंकित है।
9. कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-बिड सूचना के लिए महाविद्यालय की विभिन्न इकाईयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
10. प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-बिड हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
11. धरोहर राशि (DD/BC (in favour Dean, College of Agriculture, Bharatpur payable at Bharatpur) ₹50000/- भरकर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग के कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए ई-बिड

Handwritten signature

Handwritten signature

दिनांक 01.06.2026 सायं: 05:00 बजे तक तकनीकी वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov> पर Upload की जा सकती है।

12. ई-बिड प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न है।
14. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।
15. ई-बिड प्रपत्र के साथ FORM NO. 1, Memorandum of Appeal संलग्न है। (प्रपत्र 'य')
16. ई-बिड प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
17. बोलीदाता/संवेदक विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं जीएसटी (GST)				
5	आय कर (PAN)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

ई-बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर







कृषि महाविद्यालय

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
कुम्हेर, जिला डीग (राजस्थान)-321201
मोबाईल नंबर- 800584212, 8077707123
e-mail Id : dean.coabharatpur@sknau.ac.in

अधिष्ठाता

क्रमांक : एफ.()/भंडार शाखा/ई बिड/श्रीकनकूमवि /2026/6991

दिनांक : 21.05.2026

तकनीकी बिड प्रपत्र 'अ'

कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई-बिड सूचना

परिचय :- कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा वित्त-पोषित सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य कृषि पाठन, खोज व प्रसार का कार्य करना है। महाविद्यालय के फार्मों एवं महाविद्यालय परिसर पर कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सम्पन्न करवाने हैं महाविद्यालय की समस्त इकाईयों द्वारा वर्षभर में विभिन्न कार्यों को सम्पादन करवाने हेतु निम्नलिखित श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी ।

कार्य का नाम	वर्षभर में अनुमानित आवश्यक श्रमिकों की कार्य दिवस संख्या
आवश्यकतानुसार कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक	
अकुशल	5000
अर्द्ध कुशल	350
कुशल	700
उच्च कुशल	700

उपर्युक्त कार्यों हेतु ई-बिड आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हें इस तरह के कार्य करवाने का अनुभव हो, बिड भर सकते हैं। ई-बिड प्रपत्र वेबसाईट “<http://eproc.rajasthan.gov.in>” से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.sknau.ac.in & sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। ई-बिड ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक्स फोरमेट में वेबसाईट “<http://eproc.rajasthan.gov.in>” पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-बिड प्रपत्र शुल्क राशि : ` 1000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ` 1000.00 तथा धरोहर राशि (DD/BC in favour Dean, College of Agriculture, Bharatpur payable at Bharatpur) ₹50000/- भरकर दिनांक 01.06.2026 सायं: 05:00 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग में जमा करवाना आवश्यक है।

रज

रज

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. बिडदाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज GST No., Balance Sheet Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
2. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है (कम से कम 50 श्रमिक प्रतिदिन ठेके पर उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है)।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में इस तरह का कार्यानुभव विगत 3 वर्षों का होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संस्थान प्रमुख द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर सहित होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।

B. आवेदन की विधि तथा धरोहर राशि जमा कराना

ई-बिड प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 1000.00 एवं तथा धरोहर राशि (DD/BC in favour Dean, College of Agriculture, Bharatpur) ₹50000/- भरकर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर के पक्ष में देय एवं प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक M.D., RISL, Jaipur के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है। (प्रपत्र 'र')

C. आवश्यकतानुसार कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति श्रमिक के लिए शर्तें

1. ठेकेदार को प्रतिदिन श्रमिकों को उपलब्ध करवाते समय फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
2. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रति भूति एवं कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. ठेकेदार को प्रत्येक दिन कुल श्रमिकों की मांग के अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत पुरुष श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा जितने कम पुरुष श्रमिक होंगे उसके अनुसार ₹0 40/- प्रति पुरुष श्रमिक के हिसाब से शासित (पैनेल्टी) का भुगतान देय होगा व उस दिन के कुल श्रमिक के देय भुगतान में से इस शासित (पैनेल्टी) की राशि को कम करके भुगतान देय होगा।
4. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का

रुद्र

Page | 6

भुगतान करेगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्यनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दे।

5. सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/- रू० प्रतिदिन के हिसाब से उपयोगकर्ता संस्थान में शास्ति (पैनेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा एवं भुगतान फार्म स्टाफ के सामने कराना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर बिड भरें।
6. श्रमिक जिस कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे उसी कार्यालय को बिल प्रस्तुत करना होगा और वही कार्यालय प्रस्तुत बिलों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
7. फार्म पर श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व फार्म पर लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची फार्म कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मोहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 16 वर्ष से कम व 55 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। अगर फार्म स्टाफ को किसी प्रकार का संदेह किसी भी कार्यरत श्रमिक की उम्र इत्यादि पर होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को बतानी होगी।
8. श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
9. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर को ठेकेदार से होगा।
10. सिंचाई हेतु ठेकेदार को दिन व रात्रि में कार्य हेतु पुरुष श्रमिक मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे अन्यथा बिन्दु संख्या 3 में अंकित निर्धारित शास्ति (पैनेल्टी) देनी होगी।
11. ठेकेदार को यथासंभव एक दिन पहले, दूसरे दिन की कुल श्रमिकों की कार्य हेतु मांग के अनुसार उपलब्धता हेतु सायं 4.30 बजे तक फार्म इन्चार्ज द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। किसी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9.00 बजे तक ठेकेदार को फार्म इन्चार्ज द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। सूचित नहीं करने पर मांग के अनुरूप ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे उस दिन के श्रमिकों को फार्म इन्चार्ज कार्य है या नहीं फिर भी अवश्य लेना होगा।
12. ठेकेदार कार्य की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं करायेगा तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा जो अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
13. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR 2012, RTPPR 2013 एवं GF&AR में उल्लेखित प्रावधानानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। इकाई प्रभारी श्रमिक से कोई भी कार्य करवा सकता है।





15. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल बिड में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग हो होगा।
16. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी बिड अनुमोदन के लिए बाध्य नहीं होगा।
17. न्यूनतम दर के साथ बिड की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
18. दो या दो से अधिक बिडदाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर-डीग द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
19. बिडदाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में महाविद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
20. यदि बिडदाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान बिडदाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि महाविद्यालय उसकी अमानत राशि में से पैसेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व बिड शर्तों को न मानने पर बिडदाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
21. बिडदाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए बिडदाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। बिडदाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह बिडदाता को वहन करनी होगी। बिडदाता यदि कृषि, प्रायोगिक एवं अन्य कार्यों की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो महाविद्यालय उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान बिडदाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर को बिड निरस्त करने का अधिकार होगा एवं बिडदाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
22. अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग फर्मों के न्यूनतम दर प्राप्त होने पर बिड का विभाजन नहीं किया जायेगा।
23. मैनेजर श्रमिकों से फार्म का कोई भी कार्य करा सकते हैं।
27. राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.02(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2016 के संख्या 01/2016 के अन्तर्गत निम्न शर्तों भी जोड़ी जा रहा है :
 - i. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
 - ii. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र

2021

की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

iii. यदि उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-Time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कारवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जावेगी उन्हें सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।

iv. संवेदक (बिडदाता) द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

v. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

vi. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

vii. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

viii. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

ix. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं जीएसटी (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं जीएसटी (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं जीएसटी (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं जीएसटी (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं जीएसटी (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

x. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

xi. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।



xii. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

xiii. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

xiv. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

xv. यदि संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है, तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

xvi. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

28. बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर को होगा।

29. उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में बिडदाता के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

दिनांक _____
मय _____
स्थान _____
मोहर _____

ई-बिडदाता के पूर्ण हस्ताक्षर

स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड

2020

I. बिड का खोला जाना।

दिनांक 02.06.2026 को प्रातः 11:30 बजे सभी Uploaded निविदा प्रपत्रों को उपस्थित बिडदाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल बिडदाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन (धरोहर राशि की राशि को सम्मिलित करते हुए) प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय भरतपुर के नाम जो भरतपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति बिडदाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडदाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी बिडदाता की होगी। सफल बिडदाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।

IV. ई-बिड को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

बिड को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल बिडदाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार ई-बिड प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी बिडदाता को नहीं होगा। पर्याप्त बिड सिक्यूरिटी, RSIL फीस एवं बिड शुल्क के अभाव में ई-बिड फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। ई-बिड में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होंगे जो बिडदाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

V. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "अ" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 25.00 लाख है। महाविद्यालय द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

VI. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।

VII. अनुबन्ध - पत्र

सफल बिडदाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय बिडदाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि बिडदाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा, तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

VIII. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल बिडदाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल अधिष्ठाता कार्यालय पर प्रस्तुत करने होंगे जिसके आधार पर

भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले महाविद्यालय द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से विश्वविद्यालय द्वारा बिल पारित होने पर ही बिडदाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/चैक द्वारा किया जाएगा।

IX. भुगतान की जिम्मेदारी

बिडदाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

X. मध्यस्थ

बिड की किसी भी शर्तों के संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

XI. कार्यादेश का निरस्तीकरण

अधिष्ठाता को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XII. बिड शर्तों की स्वीकारोक्ति

बिडदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिड भरते समय बिड प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित बिड निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल बिडदाता के बिल से कटौती महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

XIII. ई-बिड की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 ई-बिड के लिए ई-बिड एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई-बिड प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई-बिड प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XV. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XVI. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से

- किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XVII. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
 (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
 (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
 (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
 (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVIII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा महाविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘य’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्ररूप -

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र - 'य') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, –

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, डीग (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई-बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर



वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू.लाखों में)
1	2022-23	
2	2023-24	
3	2024-25	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

दिनांक :

हस्ताक्षर ई-बिडदाता
एवं सील

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या
UDIN



ई-बिडदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतौषप्रद कार्य नहीं होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-बिडदाता के हस्ताक्षर





Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,
2012

Appeal No..... of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

- (i) Name of the appellant
(ii) Official Address, if any
(iii) Residential address

2. Name and address of the respondent (s) :

- (i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal

.....
.....
.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....
.....

Place

Date

.....
Appellant's Signature

2/22



कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर

1) महाविद्यालय में होने वाले कृषि सम्बन्धी कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य का विवरण
1.	अ. खेत की तैयारी – घासफूस निकलवाना व समतल करवाना ब. ले आउट करवाना, विभिन्न साइज की क्यारियाँ बनाना व पलेवा करना, बुवाई के बाद पुनः क्यारियाँ ठीक करना स. हाथ हल से रसायनिक खाद ओरना, वापिस क्यारी सुधारना, हुक से लाइन निकालना द. हाथों द्वारा प्रयोगों/परीक्षणों की बुवाई कराना
2.	अ. कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं अन्य दवाओं का छिड़काव/भुरकाव करना ब. पौधों की छँटनी करना स. निराई-गुड़ाई-खरपतवार निकालना-खेत की सफाई (तीन बार) करना
3.	क्यारियों में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम अथवा अन्य विधियों से सिंचाई करना
4.	फसल की कटाई व पूलियाँ बांधना : अ. बीज उत्पादन व सामान्य फसल ब. प्रयोगों/परीक्षणों की फसल
5.	बीज निकालना-गहाई, औसाई, सफाई करना : अ. बीज उत्पादन व सामान्य फसल ब. प्रयोगों/परीक्षणों की क्यारीवार/लाइनवार
6.	पौधों के थाँवलों की गुड़ाई करना, थाँवला बनाना, कचरे की सफाई करना, पौधों में प्रूनिंग करना एवं कटी हुई टहनियों को इकट्ठा करके एक स्थान पर रखना व पौधों में कीटनाशक /फफूंदनाशक का छिड़काव करना
7.	खरीफ फसल की बुवाई की तैयारी हेतु खेत में साफ-सफाई करना (सूड करना) व फसल के लिए खेत तैयार करना, बुवाई करना, तुड़ाई करना व अन्य सम्बन्धित सभी कार्य

2) अन्य कार्य

1	अकुशल	कार्यालय सम्बन्धित कार्य जैसे – कार्यालय सम्बन्धित प्रतिदिन के कार्य, कार्यालय/छात्रावास की सफाई, धुलाई, सड़कों की सफाई, भवनों के छतों की सफाई, प्रयोगशाला, शौचालयों की साफ-सफाई तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी सम्बन्धित कार्य।
2	अर्द्धकुशल	कार्यालय सम्बन्धित कार्यों में सहयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दक्षता रखना।
3	कुशल	कार्यालय में क्लर्क व सुपरवाइजर सम्बन्धित कार्य की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दक्षता रखना।
4	उच्च कुशल	कार्यालय में कम्प्यूटर एवं तकनीकी सम्बन्धित उच्च कुशल कार्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दक्षता रखना।

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
वित्तीय बिड

प्रपत्र "ब"

क्रमांक : एफ.()/भंडार शाखा/ई बिड/श्रीकनकूमवि/2026/6991

दिनांक : 21.05.2026

बिड खुलने के 90 दिन तक बिड स्वीकार करने के लिए वैध मानी जावेगी, बिड में मान्य दरें एक वर्ष तक वैध मानी जावेगी।
वित्तीय बिड

मैं/हम बिड में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहे हैं:-

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव ससाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति माह प्रति श्रमिक (₹)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति श्रमिक दर (₹)	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति माह प्रति श्रमिक (₹)	कुल राशि (5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	आवश्यकता नुसार कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति	अकुशल (5000)	₹ 7410.00					
2.		अर्द्धकुशल (350)	₹ 7722.00					
3.		कुशल (700)	₹ 8034.00					
4.		उच्च कुशल (700)	₹ 9334.00					

- नोट : -
1. सफल बिडकर्ता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही बिडकर्ता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा बिडकर्ता को बिल/बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा, जिसका बिडकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
 2. यदि दो या अधिक बिडकर्ताओं की दर एक समान होने पर निविदा कार्य की लागत को Negotiation के द्वारा अथवा समानुपात में विभाजित किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

- नोट :- 1. बिडदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा बिड मान्य नहीं होगी।
2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के ऊपर कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शाते हैं, ऐसी फर्म को Unresponsive माना जायेगा।

अतिआवश्यक शर्तें :-

01. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
02. श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी.एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
03. श्रमिक के ई.एस.आई. में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
04. पी.एफ. की जमा की पुष्टि श्रमिक के पी.एफ. विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी.एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।
05. सफल बिडकर्ता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति मूल कार्मिकों की सूची जिनके खातों के अन्य राशि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा बिडकर्ता को बिल/बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका बिडकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
06. सफल तकनीकी बिड दाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो कि गणना उपरान्त भुगतान योग्य राशि नहीं हो, प्रस्तावित करने पर शून्य प्रतिफल मानते हुए RPPT Act की धारा 2(xiii) के अन्तर्गत अमान्य होगी।
07. दो या दो से अधिक बोलिदाताओं की समान दर प्राप्त होने पर दर स्वीकृति का निर्णय उपापन समिति द्वारा लिया जा सकेगा। न्यूनतम बिड दरे एक से अधिक बिड दाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाएँ, कार्य करने की क्षमता स्थानीय परिस्थितियों एवं कार्य अनुभव रखने वाली फर्म को प्राथमिकता होगी, के आधार पर किसी भी न्यूनतम दरदाता की बिड स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। इस सम्बन्ध में कोई वाद स्वीकार नहीं होगा न ही उपापन समिति अन्य बिड दाताओं को इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी। जो अन्तिम एवं सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
08. न्यूनतम मजदुरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
09. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक अधिनियम (नियमन एवं उन्मूलन) 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बिमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक की उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।

10. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी 03 माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
11. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
12. बिडदाता को 100 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा की फर्म ब्लेकलिस्ट नहीं है।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/करते हैं तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमने बिड की सभी शर्तों/नियमों को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है, तथा उनसे मैं/हम पूर्णतया सहमत हैं।

हस्ताक्षर
पूर्ण पत्ता फर्म की मोहर

कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर

क्रमांक : एफ.()/भंडार शाखा/ई बिड/श्रीकनकूमवि/2026/

दिनांक : 21.05.2026

आवश्यकतानुसार कृषि कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु ई-बिड

चैक लिस्ट

क्र.सं.	विवरण	संलग्न पृष्ठ संख्या
1	बिड शुल्क ₹1000/-	
2	बिड प्रोसेसिंग फीस ₹1000/-	
3	बिड अमानत राशि ₹50000/-	
4	कार्यालय का पूर्ण पता	
5	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	
7	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	
8	नवीनतम जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन स्वहस्ताक्षरित	
9	आय कर (PAN) स्वहस्ताक्षरित	
10	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत	
11	फर्म का तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर ₹5000000/-	
12	सरकारी विभाग/उपक्रम का कार्यानुभव (3 वर्ष) प्रमाण पत्र	
13	ई-बिल प्रपत्र पर हस्ताक्षर	
14	सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय मय मोबाईल नं. व ई-मेल	
15	Affidavit for Black List ₹100/- Non-Judicial Stamp with Notary Attestation	
16	Declaration by the Bidder regarding Qualification	
17	COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST	
18	CORRECTION OF ARITHMETIC ERRORS	
19	GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS	

Appendix A

Page | 24



Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bid No. Dated..... 1.

I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Name:

Designation:

Signature of Bidder

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:

Any person participating in a procurement process shall-

- a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) Not indulge in any collusion, bid rigging or any-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
- f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g) Disclose conflict of interest, if any; and
- h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:

- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

CORRECTION OF ARITHMETIC ERRORS:

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- (i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and.
- (iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to clause (a) and (b) above.

- (iv) If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS:

- (i) The Designation and address of the First Appellate Authority is Hon'ble Vice Chancellor, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, Distt. Jaipur (Raj.) - 303 329 or as decided by university authorities or GOR.
- (ii) The Designation and address of the Second Appellate Authority is, Principal Secretary/ACS, Department of agriculture, GOR or as decided by University Authorities or GOR.
- (iii) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules of the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

The Officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(iv) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

- (v) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:

- a. Determination of need of procurement;
- b. Provision limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c. The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d. Cancellation of a procurement process;
- e. Applicability of the provisions of confidentiality.

- (vi) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the Form (BF-XV) along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- (vii) Fee for filling appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.
- (viii) Procedure for disposal of appeal
- (a) The first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall:
- 1) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - 2) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public procurement Portal.